रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022026-270198
CG-DL-E-17022026-270198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 763] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947
No. 763] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 801(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में NH344B के कि.मी. 0 से कि.मी.16.3 (फगवाड़ा होशियारपुर खंड सहित होशियारपुर बाईपास) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला माल अफसर को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में NH344B के कि.मी. 0 से कि.मी.16.3 (फगवाड़ा होशियारपुर खंड सहित होशियारपुर बाईपास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: कपूरथला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: फगवाड़ा					
गांव का नाम: हरबंसपुर (13)					
1	259	निजी	चाही	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
2	266	निजी	गैरमुमकिन रस्ता	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
3	276	निजी	चाही	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
4	334	निजी	चाही	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
5	632	निजी	चाही	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
6	704/8	निजी	बंजर	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
7	705/8	निजी	बंजर	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
8	9/2	निजी	चाही/सड़क	0.0304 (हेक्टेयर)	0.0304
गांव का नाम: भबियाणा (7)					
9	2715/2	निजी	चाही	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
10	2757	निजी	चाही	0.0102 (हेक्टेयर)	0.0102
11	2770	निजी	गैरमुमकिन रस्ता (ग्राम पंचायत)	0.0102 (हेक्टेयर)	0.0102
12	2785	निजी	चाही	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
13	2814	निजी	गैरमुमकिन रस्ता (ग्राम पंचायत)	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
14	2881	निजी	चाही	0.0034 (हेक्टेयर)	0.0034
15	3293/2769	निजी	चाही	0.0373 (हेक्टेयर)	0.0373
16	913	निजी	चाही	0.0169 (हेक्टेयर)	0.0169
17	937	निजी	चाही	0.039 (हेक्टेयर)	0.039
18	938	निजी	चाही	0.0678 (हेक्टेयर)	0.0678
19	941/2	निजी	चाही	0.0136 (हेक्टेयर)	0.0136

20	947	निजी	चाही	0.0542 (हेक्टेयर)	0.0542
21	948	निजी	चाही	0.0525 (हेक्टेयर)	0.0525
22	949	निजी	चाही	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
23	978	निजी	चाही	0.0254 (हेक्टेयर)	0.0254
				Total	**0.4613**

[फा. सं. 1000/LA/2020-21/NHAI/PIU-LDH/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2026

S.O. 801(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH344B on the stretch of land from Km 0 to Km 16.3 of Phagwara Hoshiarpur Section including Hoshiarpur Bypass in the district of KAPURTHALA in the state of PUNJAB, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Revenue Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH344B in the stretch of land from 0 to Km 16.3 (Phagwara Hoshiarpur Section including Hoshiarpur Bypass) in the district of KAPURTHALA in the state of PUNJAB

State: PUNJAB			**District: KAPURTHALA**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Phagwara					
Village: Harbanspur (13)					
1	259	Private	Chahi	0.0202 (Hectare)	0.0202
2	266	Private	Gairmumkin Rasta	0.0025 (Hectare)	0.0025

3	276	Private	Chahi	0.0051 (Hectare)	0.0051
4	334	Private	Chahi	0.0152 (Hectare)	0.0152
5	632	Private	Chahi	0.0025 (Hectare)	0.0025
6	704/8	Private	Banjar	0.0202 (Hectare)	0.0202
7	705/8	Private	Banjar	0.0076 (Hectare)	0.0076
8	9/2	Private	Chahi/Sadak	0.0304 (Hectare)	0.0304
Village: Bhabiana (7)					
9	2715/2	Private	Chahi	0.0051 (Hectare)	0.0051
10	2757	Private	Chahi	0.0102 (Hectare)	0.0102
11	2770	Private	Gairmumkin Rasta (Gram Panchayat)	0.0102 (Hectare)	0.0102
12	2785	Private	Chahi	0.0017 (Hectare)	0.0017
13	2814	Private	Gairmumkin Rasta (Gram Panchayat)	0.0051 (Hectare)	0.0051
14	2881	Private	Chahi	0.0034 (Hectare)	0.0034
15	3293/2769	Private	Chahi	0.0373 (Hectare)	0.0373
16	913	Private	Chahi	0.0169 (Hectare)	0.0169
17	937	Private	Chahi	0.039 (Hectare)	0.039
18	938	Private	Chahi	0.0678 (Hectare)	0.0678
19	941/2	Private	Chahi	0.0136 (Hectare)	0.0136
20	947	Private	Chahi	0.0542 (Hectare)	0.0542
21	948	Private	Chahi	0.0525 (Hectare)	0.0525
22	949	Private	Chahi	0.0152 (Hectare)	0.0152
23	978	Private	Chahi	0.0254 (Hectare)	0.0254
				Total	**0.4613**

[F. No. 1000/LA/2020-21/NHAI/PIU-LDH/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.17 12:13:23 +05'30'